



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 216]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 25, 2018/आषाढ़ 4, 1940

No. 216]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 25, 2018/ASHADHA 4, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जून, 2018

सं. 1(5)/2018-एसपी-1.— केंद्र सरकार ने चीनी मौसम 2017-18 के लिए गन्ने की लागत की भरपाई करने और किसानों को देय गन्ना मूल्य का समय से भुगतान सुगम बनाने की दृष्टि से दिनांक 09.05.2018 की अधिसूचना संख्या 1(5)/2018-एसपी-1 द्वारा चीनी मिलों की सहायता हेतु स्कीम अधिसूचित की थी।

2. अब उक्त अधिसूचना के पैरा 6 के अनुसरण में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि अधिसूचना के पैरा 2 (ग) को निम्नानुसार पढ़ा जाए:-

“मिल ने दिनांक 08.02.2018 के आदेश सा.का.नि. संख्या 149 (अ) को छोड़कर चीनी मौसम 2017-18 के दौरान खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा चीनी मिलों को दिए गए सभी आदेशों/निदेशों का पूर्ण अनुपालन किया हो”।

जी. एस. साहू, निदेशक (शर्करा नीति)

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Food and Public Distribution)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th June, 2018

No. 1(5)/2018-S.P.-I—Whereas, the Central Government, with a view to offset the cost of cane and facilitate timely payment of cane price dues of farmers for sugar season 2017-18 notified the Scheme for Assistance to Sugar Mills vide notification No. 1(5)/2018-S.P.-I dated 9.5.2018.

2. Now in pursuance of para 6 of the said notification, Central Government has decided that para 2(c) of the notification may be read as under:-

“The mill should have fully complied with all the orders/directives of Department of Food and Public Distribution (DFPD) to the sugar mills during 2017-18 sugar season except the order G.S.R. No. 149 (E) dated 8.2.2018”.

G. S. SAHU, Director (Sugar Policy)